

प्रेषक

श्री अनन्त कुमार सिंह,  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

जिलाधिकारी,  
सिद्धार्थनगर ।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक : 30 मार्च, 2005

विषय :- वर्ष 2004-05 कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि के समायोजनार्थ आवंटन ।

महोदय,

आपके उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या 152/आपदा लिपिक/04-05 दिनांक 17 मार्च, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इसमें उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये राज्यपाल महोदय आपदा राहत कार्यों हेतु कोषागार नियम-27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि के समायोजनार्थ रु0 85,500/- (रुपये पचासी हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

2. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या -51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेतर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,


*Anant Kumar Singh*  
( अनन्त कुमार सिंह )  
सचिव एवं राहत आयुक्त

कू पृ ३०

संख्या 927(1)/1-11-2005-11(9)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही  
हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2. मण्डलायुक्त, गोरखपुर, गोरखपुर।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6. समीक्षाधिकारी (बजट), राजस्व अनुभाग-10 (दो प्रतियां)
7. कम्प्यूटर कक्ष, (दो प्रतियां)।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
  
( राकेश कुमार )  
अनु सचिव